

प्रेषकः

ओम प्रकाश त्रिपाठी,
जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।

सेवा में:

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक 1496/ए

फतेहपुरःदिनांक मई २५, 2020

विषयः नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार के संभावित खतरे से बचाव हेतु जनपद न्यायालय, फतेहपुर में गठित समिति की आख्या का प्रेषण।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1108/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad Dated May 20, 2020 के अनुपालन में जनपद न्यायालय, फतेहपुर में गठित नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार के संभावित खतरे से बचाव हेतु गठित समिति द्वारा आज दिनांक 26.05.2020 को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है। वर्तमान में जनपद फतेहपुर ग्रीन जोन से ऑरेन्ज जोन में आ गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऑरेन्ज जोन के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य सम्पादित हो रहा है।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या की छायाप्रति माननीय उच्च न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है।

आदर सहित।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

दिनांकः मई २६, 2020

भवदीय

26/५/२०

(ओम प्रकाश त्रिपाठी)
जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।

प्रेषक,

विजय शंकर उपाध्याय,
अध्यक्ष कमेटी नोवेल कोरोना वायरस,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या-01, फतेहपुर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
जनपद फतेहपुर।

माननीय महोदय,

सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के विभिन्न जोन के नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) में जिला न्यायालयों के कार्य के परिप्रेक्ष्य में पत्रांक संख्या 1108/ LXXXVII-CPC/e-courts/ Allahabad Dated:20 May, 2020 के अनुपालन में माननीय महोदय के प्रशासनिक आदेश द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार के सम्भावित खतरे से बचाव एवं उपाय हेतु माननीय महोदय द्वारा गठित कमेटी की आज दिनांक 26.05.2020 को बैठक आहूत की गयी।

जिला	अधिकारी	फतेहपुर	के	पत्रांक	सं
789 / बारह-विविध-जे०ए०/ 2020-2021	दिनांकित 22 मई 2020	द्वारा	अवगत		
कराया गया था कि जनपद फतेहपुर में कोविड-29 के 25 एकिटव केस हैं। अतः केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जनपद फतेहपुर ऑरेन्ज जोन के अन्तर्गत आता है। जिला अधिकारी फतेहपुर के उपरोक्त पत्र की प्रति आख्या के साथ संलग्न है।					

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप जनपद न्यायालय फतेहपुर व जनपद फतेहपुर के वाह्य न्यायालय खागा एवं बिन्दकी के कोर्ट कैम्पस के पूर्ण सैनेटाइजेशन व सफाई के सम्बन्ध में अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका फतेहपुर द्वारा प्रतिदिन न्यायालय परिसर में फॉगिंग एवं सैनेटाइजेशन कार्य करवाया जा रहा है। न्यायालय परिसर की सफाई व्यवस्था का कार्य न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा भी किया जा रहा है।

यह कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा "कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा घटाने के उपायों को अपनाने" विषय पर जनपद न्यायालय फतेहपुर व जनपद फतेहपुर के वाह्य न्यायालय खागा एवं बिन्दकी में सभी न्यायिक अधिकारियों तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जागरूक तथा संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षित किया गया था तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी फतेहपुर द्वारा बताये एवं दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। जनपद न्यायालय के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा भी न्यायालय कक्ष, कार्यालय एवं न्यायालय परिसर में नियमित सैनेटाइजेशन कार्य किया जा रहा है।

कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के थर्मल स्कैनिंग

26/5/20

02

चेक अप हेतु वर्तमान में सी०एम०ओ०/सी०एम०एस० द्वारा पांच थर्मल स्कैनिंग मशीन नजारत अनुभाग को प्राप्त करायी गयी है, जिनके द्वारा लगातार कोर्ट परिसर के प्रवेश द्वार पर अधिशाषी अभियंता, पी०डब्ल्यू०डी०, लो०नि०वि०, फतेहपुर के सहयोग से बैरीकेटिंग लगाकर कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के थर्मल स्कैनिंग चेक अप की कार्यवाही की जा रही है।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में न्यायालय परिसर में वादकारियों व आगन्तुकों के अनावश्यक प्रवेश को रोका जा रहा है तथा कम से कम कर्मचारियों की कोर्ट परिसर में प्रवेश सुनिश्चित किया जा रहा है। ओथ कमिशनर स्टाम्प विक्रेताओं एवं टाइपिस्ट की कोर्ट परिसर में कम से कम उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है।

सभी विक्रेताओं को अग्रिम आदेश तक न्यायालय परिसर में खाने—पीने की वस्तुओं की बिक्री रोकने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सभी सम्बन्धित द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है।

सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, केन्द्र एवं राज्य सरकार के कोविड-19 के सम्बन्ध में दिये गये दिशा—निर्देशों एवं गाइडलाइन्स का पालन किया जा रहा है।

चूंकि वर्तमान में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जनपद फतेहपुर ऑरेन्ज जोन के अन्तर्गत आता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रशासनिक आदेश पारित कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-1, फतेहपुर, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ०नि०) अधिनियम, फतेहपुर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-2, फतेहपुर, प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, फतेहपुर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-6, फतेहपुर, विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय पाक्सो एकट, फतेहपुर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-9, फतेहपुर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर व सिविल जज (सी०डि०), फतेहपुर को न्यायालय परिसर में उपस्थित एवं न्यायिक कार्य सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया है। तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न जोन के नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) में जिला न्यायालयों के कार्य के परिप्रेक्ष्य में पत्रांक संख्या 1108/ LXXXVII-CPC/e-

courts/ Allahabad Dated:20 May, 2020 में ऑरेन्ज जोन से सम्बन्धित दिशा—निर्देशों के अनुरूप न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा अपने न्यायालयों में अत्यावश्यक कार्य तथा प्रशासनिक व ऑफिस से सम्बन्धित कार्य किये जा रहे हैं। शेष अन्य कार्यों को स्थगित कर सामान्य तिथियां दी जा रही हैं। विचाराधीन बंदियों से सम्बन्धित रिमाण्ड व अन्य न्यायिक कार्य वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के जरिये किये जा रहे हैं।

जनपद न्यायालय में कम से कम कर्मचारीगण की उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है तथा कार्य पूर्ण होते ही न्यायिक अधिकारीगण व

०३

कर्मचारीगण द्वारा न्यायालय परिसर छोड़ दिया जाता है।

जनपद न्यायालय में वर्चुअल कोर्ट की सुविधा उपलब्ध एवं कार्यरत है। जनपद न्यायालय में सेन्ट्रलाइज फाइलिंग काउन्टर/सर्विस सेन्टर द्वारा नये केस व प्रार्थना पत्रों को अधिवक्तागण व वादकारियों द्वारा प्राप्त होने पर सी0आई0एस0 में दर्ज किया जा रहा है।

कम्प्यूटर सेक्शन द्वारा सर्विस सेन्टर पर आने वाले विद्वान अधिवक्तागण को ई-कोर्ट एक्ट के बारे में बताया जा रहा है। जूडिशियल सर्विस सेन्टर पर पक्षकारों द्वारा बहस प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। जमानत प्रार्थना पत्र, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र व अन्य अत्यावश्यक प्रार्थना पत्रों को प्राप्त करने हेतु जनपद न्यायालय की डेडीकेटेड ई-मेल आई डी बनायी गयी है तथा उसको जनपद फतेहपुर की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। न्यायालयों के कार्य करने के सम्बन्ध में आवश्यक सूचनायें जनपद फतेहपुर की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही हैं।

न्यायालय कक्षों में अधिकतम 4 कुर्सियों की व्यवस्था उचित दूरी पर की गयी है। न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों व कर्मचारीगण द्वारा मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। न्यायालय कक्ष में प्रवेश से पूर्व सभी व्यक्तियों व कर्मचारीगण हेतु न्यायालय कक्ष के बाहर सैनेटाइजर की व्यवस्था की गयी है, जिसका प्रयोग सभी सम्बन्धित द्वारा किया जा रहा है। न्यायालय के कार्य करने के सम्बन्ध में अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों से आवश्यक विमर्श किया जा रहा है।

आज दिनांक 26.05.2020 को न्यायालय का समय पूर्ण होने तक कोविड-19 से संक्रित व्यक्तियों एवं जोन के सम्बन्ध में जिला अधिकारी फतेहपुर द्वारा जनपद न्यायालय को प्रेषित आख्या प्राप्त नहीं है।

आख्या सादर प्रेषित है।

दिनांक 26.05.2020

संलग्नक— यथोक्त।

(लाल बाबू यादव)

सदस्य समिति,

अपर जिला एवं सत्र

न्यायाधीश / एफ0टी0सी0

न्यायालय संख्या—01,

जनपद फतेहपुर।

(रवि करन सिंह)

सदस्य समिति,

अपर जिला एवं सत्र

न्यायाधीश

न्यायालय संख्या—06,

जनपद फतेहपुर।

(विजय शंकर उपाध्याय)

अध्यक्ष समिति,

अपर जिला एवं सत्र

न्यायाधीश

न्यायालय संख्या—01,

जनपद फतेहपुर।

26.5.2020

26.5.2020
R.K.S.
R.K.S.
Vijay
26.5.2020

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
फतेहपुर ।

सेवा में,

मा० जनपद न्यायाधीश
फतेहपुर ।

सं०८७८९ / बारह-विविध-जे०८० / २०२०-२०२१

दिनांक २२ मई २०२० ई०

विषय:- कोविड-१९ से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं० ११०८ / LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांक २०-५-२०२० का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं० १४८७ / पन्द्रह दिनांक २१ मई २०२० का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें ।
उक्त पत्र में दिये गए निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराना है कि जनपद फतेहपुर में आतिथि तक कुल कोविड-१९ के २५ ऐकिटव केश हैं ।
अतः केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा निर्धारित माप दण्डों के अनुसार जनपद फतेहपुर आरेज जोन में आता है ।
सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

भवदीय

(पपू गुप्ता)

अपर जिलाधिकारी (वि / रा)
फतेहपुर ।

दिनांक २२ मई २०२० ई०

सं०८७८९ / बारह-विविध-जे०८० / २०२०-२०२१

प्रतिलिपि - जिलाधिकारी, महोदय, फतेहपुर को सूचनार्थ ।

(पपू गुप्ता)
अपर जिलाधिकारी (वि / रा)
फतेहपुर ।

Seen
23
26.5.2020

Seen
26/5/20